भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 227

21.07.2025 को उत्तर के लिए

हरित भारत मिशन के अंतर्गत निधि आवंटन

227. श्री नरेश गणपत म्हस्के :
श्रीमती शांभवी :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019 से अब तक हरित भारत मिशन के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई बजट राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) हरित भारत मिशन के वित्तपोषण और कार्यान्वयन में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और निजी संस्थाओं के साथ किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) हरित भारत मिशन के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए किन प्रौद्योगिकीय उपकरणों और निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) हरित भारत मिशन के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में महिलाओं और हाशिए पर धकेले गए समूहों को सम्मिलित करने हेतु सरकार द्वारा अब तक कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मिशन के अंतर्गत की गई पहलों के माध्यम से प्राप्त कार्बन अवशोषण (कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन) को ट्रैक किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस विषय में क्या विचार किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत निर्धारित आठ मिशनों में से एक है।इसका लक्ष्य भारत के वन आवरण की सुरक्षा, बहाली और उसका संवर्धन करना तथा वन और वनेतर क्षेत्रों में पारि-पुनर्स्थापना संबंधी कार्यकलाप करके जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी कार्रवाई करना है।हरित भारत मिशन के तहत वर्ष 2019 से आबंटित/जारी और उपयोग किए गए बजट का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख) राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) अपने संबंधित राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) की सक्रिय सहभागिता से हरित भारत मिशन (जीआईएम) संबंधी कार्यकलापों को क्रियान्वित

करने के लिए नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।इस मंत्रालय ने जीआईएम के तहत नियमित कार्यकलापों के अलावा, विश्व बैंक की तकनीकी सहायता सेमध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 06 वर्ष की अवधि (अगस्त 2017 से जुलाई 2023 तक) के लिए पारिप्रणाली सेवा सुधार परियोजना (ईएसआईपी) क्रियान्वित की है।इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य, वन पारिप्रणाली सेवाओं का संवर्धन करने और दोनों राज्यों के अतिसंवेदनशील भूदृश्यों में समुदाय-आधारित संधारणीय भूमि प्रबंधन (एसएलएम) प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना था।राष्ट्रीय हरित भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, इस परियोजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में जीआईएम के समग्र परिणामों को सुदृढ़ करना था। इस परियोजना से प्राप्त प्रमुख योगदानों में उन्नत वन एवं भूमि प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से संवर्धित पारिप्रणाली लाभ; संधारणीय वन-आधारित कार्यकलापों और क्षमता निर्माण के माध्यम से सामुदायिक आजीविका प्राप्ति को सुदृढ़ बनाना; तथा बेहतर संस्थागत क्षमताएं शामिल हैं।

(ग) हरित भारत मिशन के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को गैर-अपवर्तन संबंधी प्रमाण-पत्रों, गैर-दुर्विनियोग संबंधी प्रमाण-पत्रों, जियोटैग्ड फोटोग्राफ सहित क्रियान्वयन स्थल की *.kml* फाइलों के साथ-साथ आवधिक आधार पर प्रगति रिपोर्टें विहित निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने हरित भारत मिशन सहित विभिन्न पहलों/स्कीमों के तहत सरकार द्वारा किए गए समग्र वनीकरण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय वनीकरण निगरानी प्रणाली (एनएएमएस) भी शुरू की है।

(घ) हरित भारत मिशन (जीआईएम) के तहत महिलाओं और उपेक्षित समूहों सहित समाज के सभी वर्गों की समावेशी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) की सक्रिय सहभागिता के माध्यमसे चयनित भूदृश्यों में इसके कार्यकलापों को क्रियान्वित किया जाता है।

(ङ) सरकार, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में दिए गए आंकड़ों के आधार पर, हरित भारत मिशन (जीआईएम) सहित विभिन्न वनीकरण और पारिप्रणाली संबंधी पहलों के माध्यम से किए गए कार्बन पृथक्करण की निगरानी करती आ रही है।आईएसएफआर 2021 के अनुसार, देश में कुल वन कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान था।आईएसएफआर 2023 में वन कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की निवल वृद्धि दर्शाते हुए कार्बन स्टॉक के बढ़कर 7285.50 मिलियन टन होने का उल्लेख भी किया गया है, जिससे जीआईएम सहित अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे वानिकी संबंधी कार्यकलापों के योगदान का पता चलता है।

*****

अनुलग्नक

'हरित भारत मिशन के अंतर्गत निधि आवंटन'के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को उत्तर के लिएश्री नरेश गणपत म्हस्के,श्रीमती शांभवी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेद्वारा पूछे गएलोक सभाअतारांकित प्रश्न सं. 227के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सारणी-1: जीआईएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019/20 से आज तक राज्य-वार व वर्ष-वार जारी/आवंटित निधियां

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	**2.02**
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	13.43	21.28	0.00	0.00	0.00	**34.71**
3	छत्तीसगढ़	5.04	1.66	6.12	0.00	0.09	0.00	0.00	**12.91**
4	हरियाणा	0.00	0.00	9.55	0.00	7.60	30.58	0.00	**47.73**
5	हिमाचल प्रदेश	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**17.09**
6	जम्मू व कश्मीर	0.00	25.73	0.00	6.49	0.00	4.50	0.00	**36.72**
7	कर्नाटक	2.21	2.35	4.45	2.93	2.33	4.99	0.00	**19.26**
8	केरल	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41	**32.73**
9	मध्य प्रदेश	30.65	0.00	18.29	17.93	8.62	23.61	0.00	**99.10**
10	महाराष्ट्र*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
11	मणिपुर	4.16	6.74	9.93	5.45	8.91	0.00	3.06	**38.25**
12	मिजोरम	17.71	2.99	29.86	36.27	21.13	0.00	0.00	**107.96**
13	ओडिशा	14.19	26.01	17.74	8.4756	12.59	0.00	0.00	**79.00**
14	पंजाब	3.19	0.00	3.32	2.7393	5.38	0.00	0.00	**14.62**
15	सिक्किम	3.12	2.19	7.77	6.57	7.50	12.24	0.00	**39.41**
16	उत्तराखंड	0.00	27.89	33.99	28.40	31.94	25.16	0.00	**147.38**
17	पश्चिम बंगाल	9.43	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	**10.95**
18	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43	0.00	0.00	**5.43**
कुल		**106.01**	**112.65**	**156.46**	**137.29**	**112.28**	**101.09**	**19.47**	**745.27**

* उक्त अवधि के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।राज्य वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जारी निधियों का उपयोग कर रहा है।

सारणी-2:**जीआईएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019/20 से आज तक राज्य-वार व वर्ष-वार जारी/आवंटित निधियां**

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**उपयोग की गई कुल राशि(रु. करोड़ में)**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	1.44	1.30	0.00	0.00	0.00	2.74
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	19.40	29.96
3	छत्तीसगढ़	5.04	1.31	0.35	4.68	0.00	0.00	11.38
4	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	8.32	8.49	27.69	44.51
5	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	6.55	2.46	0.00	9.01
6	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	13.68	12.00	6.08	1.74	33.50
7	कर्नाटक	1.49	2.33	4.47	2.872	2.396	4.94	18.50
8	केरल	0.79	1.97	9.18	4.37	0.00	0.00	16.32
9	मध्य प्रदेश	19.76	24.86	10.66	23.4	10.20	0.00	88.92
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	1.78	0.00	0.00	1.78
11	मणिपुर	4.16	6.74	9.93	5.45	0.00	8.91	35.19
12	मिजोरम	17.71	2.99	29.86	36.27	0.00	21.13	107.96
13	ओडिशा	10.63	22.01	11.41	17.77	13.10	0.00	74.91
14	पंजाब	0.00	3.92	3.25	2.21	3.12	0.00	12.50
15	सिक्किम	3.12	2.19	7.77	6.39	7.68	0.00	27.16
16	उत्तराखंड	8.91	24.73	27.51	35.94	33.75	19.74	150.58
17	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	9.43	0.76	0.00	0.00	10.18
18	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.24	4.22
कुल		**71.62**	**94.49**	**138.79**	**179.37**	**91.27**	**103.77**	**679.32**

नोट: उपयोग की गई निधि में पिछले वर्ष जारी की गई राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त निधियों का उपयोग भी शामिल है।